THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI BALASAHEB VIKHEPATIL) : (a) Yes Sir. The rate of commission payable to Mahila Pradhan Kshetriya Bachat Yojana Agents, canvassing deposits in post Office Recurring Deposit Scheme for gross annual collections of more than Rs. 25,000 has been reduced from 5% to 4%.

(b) The rates of commission payable to the agents under various agency systems have been rationalised on the basis of a recommendation of a committee on small savings.

CONDITIONS APPLICABLE TO THE POLICY HOLDERS OF NSS

@*349 SHRI NAGENDRA NATH OJHA :
SHRI J. CHITHARANJAN :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government had changed some of the conditions applicable to the policy holders of National Savings Scheme;

(b) if so, what are the changes effected; and

(c) the reasons for these changes ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI BALASAHEB VIKHEPATIL) : (a) and (b) The rate of interest payable on the deposits in the National Savings Scheme has been reduced by 0.5% from 11% per annum to 10.5% per annum w.e.f. 15-1-2000. No other change has been made in the NSS.

(c) The slight revision in the rate of interest was made in the larger interest of the economy so as to align these rates with the overall interest rate structure in the country.

श्री गया सिंह : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि यह स्कीम पूरे देश में चल रही है और खास तौर से महिलाओं में काफी मोटीवेशन हुआ है। यह मोटीवेशन जो महिला प्रधान एजेंट हैं, उनके प्रयास से हुआ है। लेकिन कमीशन की दर को इन्होंने पांच प्रतिशत से चार प्रतिशत कर दिया है। अभी तक इस स्कीम में देश भर से कितनी महिलाएं आ रही हैं यह मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं। दूसरा, यह जो आपने एक परसेंट घटा दिया उससे कितनी कम हो रही हैं ? इसमें हमारा एक सुझाव है कि क्या इस स्कीम को और व्यापक करने के लिए

* Question Nos. 342 and 349 were taken together.

@Starred Question Nos. 342 and 349 were taken together.

स्लैब सिस्टम कर सकते हैं ? मतलब 5 परसेंट मिनिमम और हर 10 हजार या 25 हजार से ज्यादा करें तो 1 परसेंट उस एजेंट को और मिले ताकि देश भर में व्यापक रूप से महिलाओं को इस स्कीम से फायदा हो क्योंकि यह स्कीम काफी उपयोगी है।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : सभापति जी, एक परसेंट कम करने से कोई उसमें खास ऐसी आपत्ति नहीं है कि जिसके कारण आमदनी कम हुई है। आप जो जानना चाहते हैं पूरा मिलाकर, तो सब इसमें महिलाओं के हिसाब से कुछ 1,67,000 1998-99 में थे। सब मिलाकर जो एजेंट्स हैं वे 5,15,920 हैं। इसमें से महिलाएं 1,67,557 हैं। इसमें लोगों की मांग भी बढ़ रही है कि हमें इसमें शामिल किया जाए। जैसे जैसे मांग होती है वैसे वैसे हम लोग महिला क्षेत्र के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, यह मैं जानकारी देना चाहूंगा।

जो आपने नयी स्कीम बतायी है, वह जो आपने सुझाव दिया है, गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट में जो कुछ रिकमेंडेशंस हमने मान ली हैं, कुछ मानने के लिए विचाराधीन हैं उस समय उस पर भी हम गौर करेंगे।

श्री गया सिंह : सभापति महोदय, पहले जो महिलाओं के रिकरिंग डिपाजिट्स में सुविधाएं थीं उनमें आपने चेंज कर दिया है। पहले एक साल तक उनका क्लोज नहीं हो रहा था। अब आपने तीन साल उसको बढ़ा दिया है। क्या इसमें पुनर्विचार कर सकते हैं ? दूसरी इसी के साथ है कि11 डिफाल्ट होने तक उनका एकाउंट क्लोज नहीं होता था। अभी आपने उनको क्लोज करने के लिए आदेश दिया है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब इस योजना को व्यापक करना चाहते हैं, खास तौर से गांवों में अभी उतना मोटीवेशन नहीं हुआ है इसलिए उनको चांस देना चाहिए और इसलिए पुरानी स्कीम के अंदर जो सुविधाएं थीं क्या उनको आप बहाल करेंगे ?

श्री बालासाहिब विखे पाटील : यह बात नहीं है। जिसके कारण डिसइन्सेंटिव हो रहा है उस पर तो पुनर्विचार हो सकता है लेकिन इसके कारण उनको सुविधा भी मिल रही है। जैसे गुप्ता कमेटी ने कहा है पेमेंट एट सोर्स। कमीशन कई सालों तक मिलता नहीं था। अभी जैसे ही उनका सबमिशन होता है उसी समय उनको पेमेंट भी हो जाता है। मेरे ख्याल से 1 मई से उसका भुगतान भी शुरू हो जाएगा।

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा : सभापति महोदय, बताया गया है कि कमेटी आन स्माल सेविंग की रिकमेंडेशन पर यह 5 प्रतिशत से 4 प्रतिशत कर दिया गया है। लेकिन यह कोई कारण बताना तो नहीं हुआ, किन कारणों से कमेटी ने ऐसी रिकमेंडेशन की कि 5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया जाए, इसका तो उत्तर मिला नहीं है। हम समझते हैं कि किन कारणों से कमेटी इस रिकमेंडेशन पर पहुंची जिसे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कबूल कर लिया और ऐसा किया . . . . ।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : सर, यह जो गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट का मैंने जिक्र किया, उसकी रिपोर्ट अगर माननीय सदस्य चाहें तो वह टेबल पर रखी हुई है और लायब्रेरी में भी रिपोर्ट उपलब्ध है, और चाहिए तो माननीय सदस्य की जानकारी के लिए उसकी जो रेकमेंडेशंस हैं वे सभा पटल पर भी मैं रख सकता हूं। अगर उनको जरूरत हो तो मैं उसको लिखित में भी दे सकता हूं या अभी तुरन्त चाहिए तो मैं उसको पढ़ भी सकता हूं।

श्री सभापति : ठीक है।

SHRIMATI SHABANA AZMI : Sir, I would like to know from the hon. Minister whether it is not ironical that on the one hand, we are committed to empowerment of women, and on the other, instead of encouraging, we are providing disincentives by reducing the commission rate by one per cent. It is universally accepted that economic instability of women is one of the major factors. I would also like to know from the hon. Minister as to how much money will be saved by this measure. Is there any yardstick to measure whether this outways the benefit which the economic independence of women seeks to bring ?

SHRI BALASAHEB VIKHEPATIL : Mr. Chairman, Sir, it is not a question of saving. We are trying to rationalise the interest rate at par with the total banking sector, which is very much important for national development. As for as the question of empowerment is concerned, it does not arise out of that. These *mahila-run* scheme are part-time schemes and not full-time schemes. At the same time, they are earning much more. So far as the amount is concerned, I may tell you . . . *(Interruptions)*

SHRIMATI SHABANA AZMI : But, that is hardly a reason. *(Interruptions)*
SHRI BALASAHEB VIKHEPATIL : Rationalisation in all the small saving schemes in the country is necessary. So, a Committee was constituted in 1998 in which West Bengal, Punjab and three other States, including Andhra Pradesh, were involved. There were 18 unanimous recommendations of the Committee, out of which fourteen have been accepted, and four are under consideration. So, there is no question of discrimination. *(Interruptions)*

SHRIMATI SHABANA AZMI : My question was, how much money is sought to be saved through this measure.

SHRI BALASAHEB VIKHEPATIL : Figures are not available with me right now. If the hon. Member is interested, I will communicate it to her.